रोहिंग्या शरणार्थियों के लिये दिल्ली में ज़कात फाऊण्डेशन आफ़ इंडिया का दारुल हिजरत कैंप

दक्षिण दिल्ली में यमुना के किनारे मदनपुर ख़ादर में रोहिंग्या शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये 2012 में अपने हक़ में रजिस्ट्री शुदा मिल्कियत वाली 1100 स्कवाईर गज़ ज़मीन वक़्फ़ कर के ज़कात फाऊण्डेशन आफ़ इंडिया ने ना केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे संसार में अनुसरण के योग्य आदर्श स्थापित कर दिया है।

2. शरणार्थियों की मदद तो बहुत लोग करते हैं लेकिन आम तौर पर ये मदद कुछ दिनों तक खाना खिलाने, कपड़ा पहनाने, ज़रूरत का कुछ सामान मुहैय्या करने या कुछ दिनों तक सर छुपाने की जगह देने तक सीमित होती है, लेकिन अपनी ज़मीन व जायदाद को इस तरह से वक़्फ़ करने की मिसाल नबी करीम (स०) के ज़माने के बाद से पहली बार देखने को मिली है।

3. जून 2012 की सख़्त गर्म धूप में घंटों खड़े रह कर ज़ेड.एफ़.आई के सेक्रेट्री डाक्टर नजमुस सलाम जलाली साहब बेघर रोहिंग्या शरणार्थियों को ज़ेड.एफ़.आई के इस प्लॉट पर पनाह देने में लगे रहते थे, उस के कुछ दिनों पश्चात ही उनकी नेकियों से खुश हो कर ईश्वर ने अपेक्षाकृत कम आयु में ही उन्हें अपने पास वापस बुला लिया; ईश्वर स्वर्ग में उनके दरजात बुलंद करे, आमीन।

4. उस समय जब ये रोहिंग्या लोग ज़ेड.एफ़.आई के कैंप में आये थे तो शुरू में कई महीने तक रोज़ाना दोनों वक़्त उनके खाने और नाश्ते का इंतिज़ाम भी ज़कात फाऊण्डेशन आफ़ इंडिया ने किया था।

5. अब भी 67 रोहिंग्या बच्चों की स्कूल की फ़ीस और दारुल हिजरत में आकर पढ़ाने के लिए दीनी व दुनियावी शिक्षकों (Tutors) की तन्ख्वाह भी ज़ेड.एफ.आई द्वारा ही दी जाती है, जिसने इस कैंप का नाम रखा है "**दारुल हिजरत**" (शरणार्थी स्थल)। 2012 में इसका उल्लेख केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में भी किया था।

6. मुसलमानों की तरफ़ से इस काम में हाथ बटाने में कमी पाई जाती है, जबकि क़ुरान करीम की सूरह हश्र की आयत 8-9 में ख़ास तौर पर जिक्र है कि तुम पर उन ज़रूरतमंदों का हक़ है जिन्हें ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया है, जिन्हें उनकी जायदादों से बेदख़ल कर दिया गया है

क्योंकि वह ईश्वर से उसकी कृपा और रज़ामंदी चाहते हैं, उस पर नास्तिकों ने उन्हें इतना तंग किया कि वो हिजरत करके, मुहाजिर बन कर, तुम्हारे पास आये हैं।

7. इन आयतों की व्याख्या में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी लिखते हैं कि पहला 'दारुल हिजरत' तो मदीना मुनव्वरा ही था लेकिन हर वो स्थल दारुल हिजरत बन सकता है जहां एकेश्वरवाद के लिये शरण व सौजन्य प्राप्त हो सके; प्रवासी मुहाजिरों से प्रेम करने में उच्च श्रेणी की दिव्य अनुकंपा प्राप्त होती है और उनका तिरस्कार या उनसे उदासीनता ईश्वर से श्रद्धा में कमी की निशानी है।

8. यदि संकुचित राजनीतिक समीक्षा मानवता के अपराजेय पक्ष और राष्ट्रहित के तथाकथित पक्ष में अंतर्भूत समानता नहीं देख पाए तो इसे बुद्धिमत्ता का अस्थाई अपार्दर्शिक भ्रम मानते हुए राजकीय यंत्रावली को चाहिए कि मानवता के पक्ष को प्राथमिकता दे; अत: भारत में आये हुये रोहिंग्या शरणार्थियों को दीर्घावधि वीज़ा ग्रांट कर दिया जाना चाहिए।

9. भारत में संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी के हाई कमिशन से रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में ज़ेड एफ़ आई की वार्ता होती रहती है, वो इस सिलसिले में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत में आये हुये सभी रोहिंग्या लोगों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार शरणार्थी का दर्जा मिल जाये।

10. उदारतावाद के भारतीय अभिलक्षण की अभियाचना है कि "दारुल हिजरत" जैसे बहुमूल्य दृष्टांत की प्रतिष्ठा की जाए और हम सब मिलकर इसका संरक्षण व अनुक्षवण करें।

11. ख़ुशी का मुक़ाम है कि बहुत से लोग और संगठनों के प्रतिनिधि इस नेक काम में दिलचस्पी लेते रहते हैं लेकिन इससे भी ज़्यादा लोगों और संगठनों को आगे बढ़ कर ईश्वर की अभिव्यक्ति और रज़ामंदी हासिल करने के लिये इसमें निस्स्वार्थ दिलचस्पी लेनी होगी।

12. इसी बीच ईश्वर की मर्ज़ी ऐसी हुई कि 15 अप्रैल 2018 को रात को 3 बजे दारुल हिजरत आग के लपेट में आ गया, ईश्वर की कृपा से जान का तो कोई नुक़सान नहीं हुआ और ना ही किसी को चोट आई लेकिन झोपड़ियां जल गईं और उनके अंदर का सामान भी।

13. मीडिया के एक सज्जन ने पूछा कि आग किसने लगाई तो ज़ेड एफ़ आई ने उनसे बताया कि इसका तो कोई सुबूत नहीं है कि आग किसी ने जानबूझकर लगाई हो, हां ये अहम बात है कि हम सब मिल कर शरणार्थियों के लिये वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था तुरंत करें, उनके लिये खाने पीने

की चीज़ों का इंतिज़ाम करें और, साथ ही जल्द से जल्द उसी जगह पर दोबारा उनके लिये लोहे के पाईप और टीन की छत वाली स्थाई आवासीय यूनिट्स बना दें ताकि भविष्य में आग ना लगे, और अगर सरकार अनुमति देती है तो ज़ेड.एफ.आई इसी जगह पर कई मंजिलों की ऐसी इमारत बनाना चाहती है जिसमें रोहिंग्या परिजन नस्ल दर नस्ल सदैव रहें और बेहतर जीवन व्यतीत करें।

14. पाठकों को ये भी मालूम होना आवश्यक है कि ज़ेड.एफ़.आई के अनुभव के अनुसार दिल्ली में दारुल हिजरत की इस ज़मीन पर कुछ लोगों की बुरी नज़र भी लगी हुई है, 2017 में जब ज़ेड.एफ.आई ने इरादा किया कि शरणार्थी पुरुषों व महिलाओं के लिये अलग अलग बाथरूम और टॉईलेट बना दिये जायें और उसकी छत पर पक्की मस्जिद बना दी जाये और इस के लिये काम शुरू भी कर दिया गया तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने इस में बाधा डाली। उन्होंने इस नापाक साज़िश को अंजाम देने के लिये मुहाजिरीन में से ही 2-3 लोगों को वरग़ला कर अफ़रा-तफ़री मचाने के लिये तैय्यार किया, ये भी अफवाह उड़ाई गयी कि ज़ेड.एफ़.आई ये ज़मीन शरणार्थियों से ख़ाली कराना चाहती है जबकि इस बात में रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं है बल्कि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है।

15. ज़ाहिर है जो नेक लोग और संगठनों के नुमाइंदे अच्छे इरादे से दारुल हिजरत में आते हैं पर उन्हें इन साज़िशों के बारे में ख़बर नहीं होती है, वह अपनी दान वाली चीजें और रक़म भी उन संदिग्ध व्यक्तियों के ही हवाले करके वापस चले जाते हैं, जबकि वो रक़म और सामान मुस्तहिक़ लोगों तक नहीं पहुँचता है।

16. इस बद-अमली के मद्दे नज़र ज़ेड.एफ़.आई ने 2018 के आरंभ से ही दारुल हिजरत में अपना दफ्तर क़ायम कर दिया है जिसमें ज़ेड.एफ़.आई के एक निष्ठावान नौजवान अधिकारी रोज़ाना 9 से 10 घंटे बैठने लगे उनका नाम है जनाब अब्दुर्रहमान। यह सिलसिला अब भी जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहे गा।

17. इसकी वजह से उन असामाजिक तत्वों को अपने इरादों के लागू करने के रास्ते में अड़चन नज़र आने लगी है।

18. अप्रैल 2018 में आगज़नी के बाद इसकी खबरें मीडिया में आईं तो लोग मदद के लिये दारुल हिजरत पहुंचने लगे जहां हर एक को पूरी हक़ीक़त मालूम नहीं हो सकी, इसका फ़ायदा उठाकर उन संदिग्ध व्यक्तियों को ताज़ा मौक़ा हाथ आया कि नये मासूम मददगारों के सामने ख़ुद को

आधिकारिक वालंटियर (मुस्तनद रज़ाकार) के त़ौर पर पेश कर के मददगारों के द्वारा लाये गये सामान और नक़दी को अपने क़ब्जे में ले लें।

19. मुल्क के मशहूर व भरोसे वाले संगठनों, जिनमें जमाअ़त ए इस्लामी व जमीयतुल उलेमा शामिल हैं, के नुमाईंदों ने ज़ेड़.एफ़.आई से इस मुद्दे पर मुलाकातें कर ली हैं और मुफीद बातचीत भी हो चुकी है।

20. मिल्लत के परिजन और संगठन मिलकर अपने इस दीनी संकल्प का संपादन अवश्य करें गे, इंशाअल्लाह और मिल्लत की इस अनमोल अमानत को बना संवार कर रखेंगे और इस तरह रोहिंग्या खानदानों को सम्मानित जीवन व्यतीत करने के अवसर और उसके लिये प्रयुक्त आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराते रहेंगे।

21. याद रहे कि सितम्बर 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जेनरल असेम्बली में शरणार्थियों और आप्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क घोषणा पत्र 2016 (New York Declaration for Refugees & Immigrants 2016) में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने सारे विश्व के इंसानों से लिखित त़ौर पर वादा किया है कि वो दर बदर हुये लोगों के पुनर्वास और उन्हें दोबारा बसाने के लिये मुहब्बत व भाईचारगी और बड़े दिल का रवैय्या अपनायेंगें और इसके लिये अपनी अपनी हैसियत के अनुसार ज़मीन, माल और मेडिकल सहायता करेंगे।

22. इस घोषणा पत्र को लागू करने के लिये 'व्यापक शरणार्थी प्रतिक्रिया फ्रेमवर्क' (Comprehensive Refugee Response Framework : CRRF) तय्यार किया गया है, जिसके अनुसार ये फ़ैसला करने में कि शरणार्थियों के किस गिरोह के साथ क्या रुख़ अपनाना है उनके धर्म को बुनियाद नहीं बनाया जायेगा।

23. इस घोषणा पत्र को तैयार करने और उसे जारी करने में भारत सरकार के नुमाइंदे के त़ौर पर विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री जेनरल वी के सिंह मौजूद और सक्रीय थे, लिहाज़ा पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार भी दारुल हिजरत के इस नेक काम में परोपकारी सिद्ध होगी।

———————————